(b) what are the guidelines provided by the Bureau of Public Enterprises to the Public Undertakings on the employee-employer relationship ;

(c) whether the Public Sector Undertakings are following vigorously the guidelines of BPE, with the reasons therefor ;

(d) what action Government propose to take, in case these guidelines of employee-employer relationship are ignored by some undertakings, with the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to suggest where the employees are the victims of the non-applying of employee-employer relationship by the undertakings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) :

(a) The employee-employer relationship in Public Sector Undertakings is governed by various Industrial Laws enacted by the Ministry of Labour.

(b) to (e) Do not apply.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

3234. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय सुधारों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप किन-किन उपक्रमों को लाभ हुआ है ; और

(ग) इस कदम से गत वर्ष उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु समग्र सुधारों से सम्बन्धित नीति का उल्लेख है जिनकी परिगणना लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खण्ड 1, पृष्ठ संख्या 3 पर की गई है जिसे 26-2-93 को संसद में रखा गया था । वित्तीय सुधार, इस सम्बन्ध में की गई समग्र कार्रवाई का एक भाग है । पृथक-पृथक उद्यमों के उत्पादन सम्बन्धी कार्य-निष्पादन में सुधार का विवरण उपरोक्त खण्ड के वि० 144 से वि० 161 पर दिया गया है । बहरहाल उद्यम विशेष के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकारी क्षेत्र के संबद्ध उपक्रमों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

भारत में विदेशी पूंजी का निवेश

3235. **श्री अजीत जोगी** :
चौधरी हरि सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी विदेशी पूंजी के आगम का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश की अनुमोदित राशि निम्नलिखित है :-

वर्ष	विदेशी निवेश की अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ में)
1990-91	137.10
1991-92	1328.19
1992-93	5611.06

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि 1993 (जनवरी से मई) में भारतीय कंपनियों की शेयर पूंजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक आगम अनुमानतः 736.53 करोड़ रुपये है ।

खादी संस्थाओं संबंधी सोंधिया समिति की सिफारिशें

3236. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी संस्थाओं और खादी कर्मियों के दरपेश आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिये उपाय सुझाने हेतु सोंधिया समिति की नियुक्ति की गयी थी और क्या सरकार को सोंधिया समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं,

(ख) यदि हां, तो सोंधिया समिति की सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार उन सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो समिति की वे सिफारिशें क्या-क्या हैं, जिन्हें लागू किए जाने की संभावना है और कब तक ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार को खादी संस्थाओं के श्रमिकों से, उनकी प्रबंध शैली और जिन सेवा शर्तों पर ये कार्य कर रहें हैं उनके विरुद्ध विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन संस्थाओं में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिकों के हितों व कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए श्री के० सी० सोंधिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

मूलतः कोई इस बात से असहमत नहीं हो सकता है कि किसी स्वायत्तशासी निकाय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा पारिश्रमिक उस निकाय के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं । संस्थाओं के आकार में व्यापक भिन्नता, उनके कारोबार के स्तर, उत्पादकता, की गयी बचत आदि को देखते हुए सभी संस्थाओं में एक समान सेवा शर्तें और वेतनमान एवं भत्ते लागू करना संभव नहीं होगा ।

श्रमिकों को संतुष्ट किया जाना चाहिए और उन्हें अधिकतम वेतन इत्यादि दिए जाने चाहिए जिसे संस्था वहन कर सकती हो । यह सब्सिडी के रूप में किसी बाहरी सहायता से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

के वी आई सी कर्मचारियों के साथ पारिश्रमिक को समान करने का प्रश्न नहीं उठता और मांग विचार योग्य नहीं हैं ।

खादी संस्थाओं को ऐसे सभी पदों का वर्गीकरण करना चाहिए जिनकी संस्थाओं के कार्य करने के क्षेत्र में लागू दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार पहचान की जा सकती है और पिछली सेवा को उचित महत्व देते हुए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वेतन तथा भत्ते निर्धारित किए जाने चाहिए ।

गांधी आश्रमों के लिए दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अपने श्रमिकों के वेतन और भत्तों को युक्तियुक्त बनाना संभव होना चाहिए ।

खादी संस्थाओं को युक्तियुक्त बनाने की मांग मान्य नहीं है ।

श्रमिकों के वेतन की पूर्ति के लिए मुनाफे में वृद्धि करने का मामला नहीं है ।

सरकार द्वारा खादी श्रमिकों की सेवा शर्तें निर्धारित किए जाने की मांग विचार योग्य नहीं है ।

खादी श्रमिकों को ई० एस० आई० पी० एफ०, आई० डी० अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों से छूट दी जानी चाहिए ।

(ग) सोंधिया समिति की खादी संस्थाओं के श्रमिकों से संबंधित सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से की गयी थी । सचिव (लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग) ने 10 अगस्त, 1992 को एक बैठक की थी जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के अधिकारियों सहित प्रमुख खादी संस्थाओं के श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिसमें सोंधिया समिति की सिफारिशों के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे । सरकार ने अपने 3 नवम्बर, 1992 के संकल्प (जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था) द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया था जो इस प्रकार है :—

(1) क्षेत्र के दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों को खादी संस्थाओं पर लागू किया जाएगा ।

(2) के वी आई सी द्वारा तैयार व परिचालित किए जाने वाले "माडल सेवा नियमों" के अनुसार सेवा नियम अपनाये जायेंगे;

(3) प्रबंध में श्रमिकों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ;

(4) के० वी० आई० सी० को श्रमिकों की छंटनी/निष्कासन के अलग-अलग मामलों की जांच की जायेगी ।

उद्योग स्थापित किए जाने संबंधी आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निपटाया जाना

3237. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक स्थापना से संबंधित आवेदन पत्रों का 60 दिन के अन्दर निपटान करने के लिये कोई नियम बनाया है,

(ख) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है,

(ग) 60 दिनों के अन्दर कितने आवेदन-पत्रों का निपटाया गया है, और

(घ) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो 60 दिन के अन्दर आवेदनों का निपटान नहीं कर सके हैं ?